तो एसी कौन सी मान्यताएं हैं जिनकी वजह से ऐसा किया जाता है जब आगरा से जाने वाले लोग पहले दिल्ली आयें और दूना समय खर्च करें इसका क्या औचित्य है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि जिन तीन गाड़ियों का वे जिक्र कर रहे है उसमें एक तमिलनाडु एक्सप्रेस है वह ट्राई-वीकली है, हफ्ते में तीन बार चलती है, दूसरी गाड़ी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस है वह हफ्ते में दो बार चलती है। और तीसरी गाड़ी कर्नाटक केरल एक्सप्रेस है जो हफते में दो बार चलती है इस तरह से रोजाना चलने वाली कोई गाड़ी नहीं है। दक्षिण की ओर से लगातार यह मांग रही है कि आप दक्षिण को ज्यादा फास्ट ट्रेन्स नहीं देते हैं, कृपया इन गाड़ियों की रफ्तार कम मत कीजिए, ज्यादा स्टेशन्स मत बढ़ाइये क्योंकि हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं। इस बात को दृष्टि में रखकर यह फैसला किया गया है।

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: I would like to know whether the Hon. Minister will reconsider the request in regard to the Kerala-Karnataka Express and the Tamilnadu Express which are not stopping at Kazipet and Warrangal at present. I raised this point several times and it has been replied to also but I would once again request him to reconsider it because, if they do not stop there, they are of no use to the people of Hyderabad and to the whole Telengana area. So in view of my request and that of several other Members, will the Minister reconsider the matter?

PROF. MADHU DANDAVATE: As far as such problems are concerned I am always prepared to reconsider them.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Although the running time from Madras to Delhi is 29 hours, the Tamilnadu Express actually reaches its destination two hours before time. In view of this is there a proposal to reduce the running time of the Tamilnadu Express?

PROF. MADHU DANDAVATE: This is a suggestion for action (not for inaction) and I will consider it.

मध्य प्रदेश को पैराफिन मोम का आवंटन

+

***390. श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री गोविन्द राम मिरी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 में मध्य प्रदेश को राज्य में अधिष्ठापित क्षमता का 10 प्रतिशत से भी कम पैराफीन मोम का कोटा आबंटित करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मध्य प्रदेश को कोटे का पुनः आबंटन करके उसे बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्यों को पैराफीन मोम का वार्षिक आवंटन किसी विशेष वर्ष में मोम की कुल संभावित उपलब्धता और प्रत्येक राज्य की इस मद की विगत में खपत क्षमता के आधार पर किया जाता है राज्य में मोम-आधारित उद्योगों की संस्थापित क्षमता के आधार पर नहीं किया जाता है। देश में पैराफीन मोम की मांग में वृद्धि होती रही है, जब कि असम आयल कम्पनी

को डिग्बोई शोधनशाला में उत्पादन, जो कि देश में पैराफीन मोम के उत्पादन का मुख्य साधन है, एक सा गया हैं। इस उत्पाद की देशीय उपलब्धता को पूरा करने के लिए, पैराफीन मोम के सारणी बद्ध आयात की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1977-78 की आयात नीति को संशोधित कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में नये एककों की स्थापित करके पैराफीन मोम की उत्पादन क्षमता में जब तक वृद्धि नहीं हो जाती, आशा है कि तब तक पैराफीन मोम के आयात से इस मद की कमी समाप्त हो जायेगी तथा वास्तविक रूप से इस का उपयोग करने वालों के लिए पैराफीन मोम की उपलब्धता में सुधार होगा।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पैराफीन मोम के उत्पादन की दृष्टि से 1976 में मध्य प्रदेश का जो पैराफीन मोम केन्द्रीय सरकार की ओर आवंटित किया गया वह बहुत कम है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपात काल स्थिति के दौरान ज्यादतियां बढ़ती जा रही थीं उसी अनुपात में इसका आवंटन भी कम किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को इस वर्ष पैराफीन मोम का आवंटन बढ़ाया जायेगा ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सवाल पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो पैराफीन मोम की इंस्टाल्ड कैपेसिटी है उससे आवंटन कम किया गया तो हमारा मंत्रालय किसी राज्य में पैराफीन मोम इस्तेमाल करने वालों को प्रत्यक्ष रूप से कोई कोटा आवंटित नहीं करता बल्कि विभिन्न राज्यों, संघ क्षेत्रों, को प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा इस आधार पर मोम एलाट किया जाता है कि सारे देश के लिए उस वर्ष कितना मोम उपलब्ध है तथा पिछले वर्ष व वर्षों में किस राज्य ने अपने कोटे का कितना माल उठाया।

इस हिसाब से मध्य प्रदेश के बारे में मैं बतला दूं —

सन्	जो एलाट हुआ	जो उठाया गया
	टन	टन
1973 . .	915	565
1974 . .	750	654
1975 . . .	600	648
1976 . . .	598	565.8
1977 . . .	898	सितम्बर तक 431 टन

इन आंकड़ों को देखते हुए हम समझते हैं कि कोटा घटाया नहीं गया है।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में 293 इकाइयां निजी क्षेत्र में कार्य करती है। उन की आवश्यकता 598 मीट्रिक टन की है। पिछले दिनों देश में जो क्रान्ति आई, उस हिसाब से सभी क्षेत्रों में नई स्फूर्ति पैदा हुई है और लोग नये जोश से कार्य करना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश को अधिक पैराफिन-मोम की जरूरत हैं, इस लिए उस की आवश्यकता को देखते हुए आवंटित करना चाहिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने पहले बतलाया है कि भारत सरकार के पास कितना पैराफिन-मोम उपलब्ध है। उस के आंकड़े इकट्ठे करने के बाद ही हम किसी स्टेट को एलाट करते हैं और मध्य प्रदश को तो इस साल बिना उस के कहे 300 टन अधिक एलाट किया गया है।

श्री गोविन्द राम मीरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की तुलना में अन्य प्रान्तों को कितना पैराफिन-मोम दिया जाता है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : वे आकड़े भी मैं आप को सुना देना चाहता हूं — मैं इस समय 1976 की फिगर्स बतलाऊंगा —

राज्य	एलाट हुआ	उठाया गया
	टन	टन
महाराष्ट्र . .	9529	9450
गुजरात . .	803	796
मध्य प्रदेश . .	598	565
गोआ , दमण, दिऊ .	138	136.2
वस्ट बंगाल . .	8316	8297
बिहार . . .	1334	1250

MR. SPEAKER: If the list is very long, you should lay it on the Table of the House.

श्री राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, जो पैराफिन-मोम लोगों को दिया जाता है, उस में बड़ी गड़बड़ी की जाती है, ऐसे लोगों को बाट दिया जाता है, जो कैण्डल्ज बनाने वाले हैं, जिन से सरकार से को कोई इन्कम नहीं होतीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं—क्या सरकार कोटा बांटते वक्त ऐसी इंस्ट्रक्शन्ज देगी, जिस से सरकार को एक्साइज डयूटी और सेल्ज टैक्स का रुपया भी मिल सके ?

श्री जनेश्वर मिश्र : यह सुझाव है, इस पर विचार किया जाएगा।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो आवंटन है, यह या तो जन-संख्या के आधार पर हो सकता है या मांग के आधार पर हो सकता है। जहां तक आवंटन का सवाल है, मध्य प्रदेश के लिए 1976 में 598 टन था और 1977 में 898 टन का आवंटन है। इसलिए यह सिर्फ मांग पर निर्भर नहीं करता लेकिन मांग होने के बावजूद भी उस को ठीक ढंग से आवंटित नहीं किया जाता, बांटा नहीं जाता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहूंगा कि 898 टन जो अभी आवन्टित किया गया है यह 1976 से करीबन 200 टन ज्यादा है, तो क्या अगले वर्ष इस से और ज्यादा आवंटित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि पैराफिन मोम जो हिन्दुस्तान में उपलब्ध होता है, उस के आधार पर ही राज्यों को एलाट किया जाता है और जितना मोम वे उठा ते

हैं, उस आधार पर भी उन को यह मोम दिया जाता हैं और मध्य प्रदेश को 898 टन एलाट हुआ है । अगर भारत सरकार के पास पैराफिन मोम की ज्यादा उपलब्धि हुई और जितना उन को एलाट किया गया है वह सारे का सारा मोम मध्य प्रदेश उठा लेता है, तो उन को ज्यादा पैराफिन मोम देने के लिए जरूर विचार किया जाएगा ।

DR. VASANTA KUMAR PANDIT: The hon. Minister has kindly told us that amongst the norms for allotment of paraffin wax, one is the availability of production another is the upliftment in the previous year. Will the hon. Minister now seriously consider including the installed capacity also as one of the main criteria. For the last five years continuously less allotment is being made to Madhya Pradesh and because of this some of the installed capacity in the State is lying idle. So, intalled capacity also should be one of the main criteria on which allotment percentage should be finalised. Therefore, will the government review the entire situation in the light of the installed capacity and allot more paraffin wax required by Madhya Pradesh?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, देश में क्योंकि पैराफिन मोम का अभाव है, इसलिए इंस्टाल्ड कैपेसिटी के आधार पर एलोटमेंट की बात नहीं सोची जा सकती है ।

वर्ष 1977–78 के दौरान अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

*** 391. श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1977–78 के दौरान अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली (सुपरफास्ट) रेल गाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नई रेलगाड़ियों को कब से चलाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं । लेकिन सप्ताह में दो बार चलने वाली 59/60 हावड़ा बम्बई गीतांजली एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० ए० हनान अलहाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आजकल जो कई फास्ट ट्रेनें हैं, उन की गति पहले के मुकाबले में धीमी हो रही है, इसका कारण क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते :गाड़ियों की रफ्तार के बारे में कई निश्चित सिद्धान्त, आधार तय किये गये हैं । जब रफ्तार तय की जाती है, तो जिस ट्रेक पर गाड़ी चलती है, वहां के ट्रेक की परिस्थिति कैसी है, ट्रेकिंग कंडिशन्स कैसी हैं, यह सब देख कर गाड़ी की रफ्तार तय की जाती है । कई जगहों पर ट्रेक की कंडिशन्स अच्छी होने की वजह से रफ्तार बढ़ाई गई है और कई जगहों पर ट्रेक की कंडिशन्स अच्छी न होने की वजह से रफ्तार कम करनी पड़ी है लेकिन जो सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं उन की रफ्तार कम से कम 100 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 105, 110 किलोमीटर रही है ।

श्री एम० ए० हनान अलहाज : जो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेन्स हैं, जिन की गति कम हो रही है, उस बारे में कुछ नहीं बताया और दूसरी बात यह है कि जो फास्ट ट्रेन्स हैं, उनकी गति बढ़ाने के लिए आप कोई विचार कर रहे हैं ?